राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33/रेडियो./सीधी भर्ती 2013/एफ.213/2017/५८० दिनांकः 26.9.17.

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 17463/2015 वीरां रानी गोगना बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.3.2017 की पालना में वीरां रानी गोगना पुत्री श्री राजकुमार वर्मा जिनकी जन्मतिथि 18.12.74 है, जो सामान्य महिला वर्ग की अभ्यर्थी है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार इनका प्राप्तांको का औसत प्रतिशत 68.85 है, जिनका नाम निदेशालय द्वारा जारी अंतिम चयन/पदस्थापन आदेश क्रमांक ई–33/सहा.रेडियो./सीधी भर्ती/2015/439 दिनांक 4.11.2015 की कम संख्या 1 पर अंकित हेमन्त कुमार यादव (आई.डी. 17100000280) के उपर प्रतिस्थापित करते हुए सहायक रेडियोग्राफर के पद पर चयन कर पद के पे-बैण्ड 5200–20200 ग्रेड–पे 2800/– में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.14(1)/एफडी (रूल्स)/2013–Pt दिनांक 03.06.2015 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 11820/–प्रतिमाह पर दो वर्ष के प्रोबेशनल काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर** के अधीन किया जाता है, इनकी सेवा की गणना निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–33/सहा.रेडियो./सीधी भर्ती/2015/439 दिनांक 4.11.2015 के कम संख्या 1 पर वर्णित श्री हेमन्त कुमार यादव पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह यादव के सहायक रेडियोग्राफर पद पर कार्यग्रहण तिथि से की जाकर सेवा के काल्पनिक लाभ देय होंगे तथा वास्तविक लाभ इनकी कार्यग्रहण तिथि से देय होंगे।

1. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनॉक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/ 2015/391 दिनॉक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हे सहायक रेडियोग्राफर के पद की नियमित पे–बेन्ड एवं ग्रेड–पे का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारी पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि को भी जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित की जानी है।
5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो) शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)

order.doc

6. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है ।
7. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि समक्ष अधिकारी द्वारा जारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
8. **उक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प0 1 (1) कार्मिक/(क–2)/2016/ दिनांक 15.07.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।
10. उक्त अभ्यर्थी को दिनांक 13.10.2017 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
11. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
12. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यदि विवाह पंजीयन नही करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नही माने जावेगें। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.05.05 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

कमांकः ई–33/रेडियो./सीधी भर्ती 2013/एफ.213/2017/480 दिनांकः 26-9-17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, (जन स्वा./प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

5. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन बीकानेर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थी से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनांक 3.10.17 को विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें। निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनाँक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर कमेटी की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि मनोनित करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश कमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें :-

(i) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।

(iii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावें तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कराना होगा।

(v) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट-छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।

(vi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

8. उप निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी,।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित अधिकारी की ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. वीरां रानी गोगना पुत्री श्री राजकुमार वर्मा निवासी 315 कैलाशपुरी बीकानेर पिन 334001 (राजस्थान) को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को प्रस्तुत करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
11. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर